(58)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः—श्री के0सी0 जैन
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 782—तीन/2010 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 08—02—2010 के द्वारा न्यायालय आयुक्त शहडोल संभाग, शहडोल के प्रकरण क्रमांक 24/अपील/2008—09

.....

पारसनाथ पुत्र स्व0 श्री गोविंद प्रसाद विश्वकर्मा
निवासी—ग्राम बरगवा (अमलाई) तहसील व
जिला—अनूपपुर(म0प्र0)

..... आवेदक

विरूद्ध

1— ओमप्रकाश पुत्र स्व0 श्री गोविंद प्रसाद विश्वकर्मा
2— गंगाप्रसाद पुत्र स्व0 श्री गोविंद प्रसाद विश्वकर्मा
3— मुस0 सुभद्रा पत्नी स्व0 श्री गोविंद प्रसाद विश्वकर्मा
ग्राम बरगवा (अमलाई) तहसील व
जिला—अनूपपुर(म0प्र0)
4— ललिता पिता स्व0 श्री गोविंद प्रसाद विश्वकर्मा
पत्नी लखनलाल विश्वकर्मा, हाल निवासी—ग्राम सूखा
तहसील विरसिंहपुर पाली, जिला—उमरिया
5— पुष्पलता पिता स्व0 श्री गोविंद प्रसाद विश्वकर्मा
पत्नी आनंद कुमार विश्वकर्मा, हाल निवासी—बरेली
तहसील जयसिंह नगर, जिला—शहडोल(म0प्र0)

.....अनावेदकगण

.....

श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, आवेदक
श्री एस0के0 अवस्थी एवं प्रदीप श्रीवास्वत, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

आदेश

(आज दिनांक 14/9/16 को पारित)

यह निगरानी न्यायालय आयुक्त शहडोल संभाग, शहडोल द्वारा प्रकरण क्रमांक प्रकरण क्रमांक 24/अपील/2008–09 में पारित आदेश दिनांक 06–11–2006 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त सार यह है कि वादग्रस्त भूमि खसरा क्रमांक 793/6 रकबा 0.17 ग्राम बरगंवा तहसील व जिला–अनूपपुर में स्थित है । आवेदक के पिता की स्व0 श्री गोविंद प्रसाद विश्वकर्मा की स्वअर्जित सम्पत्ति है । अभिलिखत भूमिस्वामी गोविंद प्रसाद की मृत्यु होने पर आवेदक के पक्ष में गोविंद प्रसाद ने निष्पादित वसीयतनामा दिनांक 23.09.2000 के आधार पर तहसील न्यायालय में अपना नाम नामांतरण किये जाने हेतु आवेदन दिया । उक्त आवेदन में तहसील न्यायालय अनूपपुर ने प्रकरण क्रमांक 36/अ–6/2004–05 दर्ज कर वसीयतनामा के साक्षियों के कथन वं अन्य साक्षियों के कथन लेकर अनावेदक की ओर से प्रस्तुत आपत्ति पर विचार कर अपने आदेश दिनांक 15.06.06. द्वारा स्व0 श्री गोविंद प्रसाद विश्वकर्मा के स्थान पर वादग्रस्त भूमि पर आवेदक के पक्ष में नामांतरण किये जाने का आदेश प्रदान किया । उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदक क्र0 1 ओमप्रकाश ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जो आदेश दिनांक 29.11.07 द्वारा निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने आयुक्त शहडोल संभाग, शहडोल के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई जो आदेश दिनांक 08.02.2010 द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षों को निरस्त करते हुये प्रकरण तहसील न्यायालय को पुनः सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किये जाने का आदेश पारित किया गया । आयुक्त द्वारा पारित उक्त आदेश से व्यथित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवैध अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है। द्वितीय अपील में आयुक्त द्वारा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप कर वैधानिक त्रुटि की है, जबकि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने